23 वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 13.6.23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर माण्डल

3/6/23 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अत: पत्रावली दिनांक 5.9.23 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

5/9/23 पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थिया उपस्थित, विपक्षी सं. 3, 5 लगायत 11 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शा० प० किये गये। वकील प्रार्थिया विपक्षीगण 1, 2, 4 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। विपक्षीगण 2, 5 लगायत 11 को बिलकी मार्फत आवाज दिलाई जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, वकील प्रार्थिया का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:02 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या –104/23 प्रा० पत्र

1– श्रीमती जुबैदा बानु प० अली मोहम्मद अंसारी निवासी- मांडल तहसील- मांडल

–प्रार्थी

बनाम

1–श्री घीसु S/o श्री कालु माली निवासी- मांडल तहसील-मांडल [वगैरा]
(मुख्तांकित प्रा०पत्र संलग्न है)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांकः– 05.09.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......माडल.........पटवार हल्का....माण्डल I........तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० ..4898.....................कुल किता........01............रकबा..0.0632.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30.05.23..........को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..माण्डल......पटवार हल्का.....माण्डल I....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी न.......4898............................ कुल किता..............01.................रकबा.....0.0632....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक.....माण्डल को........500/-रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2024.02.02 16:03:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख[illegible] कि प्रार्थी द्वारा रा[illegible]मा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्र[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा